



संख्या: लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2016-17/01-251 दिनांक: 27 फरवरी, 2017

कार्यालयादेश

समय-समय पर शासन द्वारा कार्यस्थलों एवं संस्थानों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है एवं कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी संस्थाओं में 'वूमेन ग्रीवेन्स सेल' ("Women Grievance Cell") की स्थापना को अनिवार्य किया है। अतः इस संस्था की छात्राओं/महिलाओं की शिकायतों के सामयिक निराकरण हेतु संस्था में पूर्व में जारी कार्यालयादेश संख्या लवाम/प्र0स्था0/का0आ0/2014/01-863 दिनांक 31.12.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् "महिला शिकायत प्रकोष्ठ" (Women Grievance Cell) का गठन किया जाता है:

- | | |
|---|----------|
| 1. श्रीमती रितु गुलाटी, वरि0सहायक प्रोफेसर | अध्यक्ष। |
| 2. श्रीमती फरहीन बानो, सहायक प्रोफेसर | सदस्य। |
| 3. श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, आशुलिपिक | सदस्य। |
| 4. प्रतिनिधि बी0आर्क0प्रथम वर्ष: कु0लक्षित सिंह | |
| 5. प्रतिनिधि बी0आर्क0द्वितीय वर्ष: कु0अपराजिता प्रसाद | |
| 6. प्रतिनिधि बी0आर्क0तृतीय वर्ष: कु0नमन भाटिया | |
| 7. प्रतिनिधि बी0आर्क0चतुर्थ वर्ष: कु0हर्षिता | |
| 8. प्रतिनिधि बी0आर्क0पंचम वर्ष: कु0ऊषा बाधवानी | |

(प्रो0वन्दना सहगल)
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।

प्रतिलिपि संख्या लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2016-17/01-251 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागाध्यक्ष।
2. कुलानुशासक।
3. समिति के उपरोक्त सदस्यों को।
4. समस्त स्टॉफ मेम्बर्स को सरकुलेशन द्वारा।
5. नोटिस बोर्ड्स।
6. गार्ड फाइल।

(प्रो0वन्दना सहगल)
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।

Abdul Kalam Technical University
of Architecture & Planning
Former Lucknow College of Architecture
Lucknow, Lucknow - 226 007; (U.P) India
22989090 (Telefax); +91 522 2989090
foaaktu.ac.in, e-mail: dean.foa@aktu.ac.in



डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
वास्तुकला एवं योजना संकाय
(पूर्ववर्ती लखनऊ वास्तुकला महाविद्यालय संयुक्तित)
टैगोर मार्ग, लखनऊ-226007 (उ.प्र.) भारत
दूरभाष- +91522 2989090 (टेलीफैक्स)+91522 2989090
वेबसाइट: www.foaaktu.ac.in ईमेल dean.foa@aktu.ac.in

संख्या: लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2019-20/01-108 दिनांक: 08 फरवरी, 2020


कार्यालयादेश

अमातृशिप एवं कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर की अपेक्षानुसार संस्थानों में 'ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी' (Grievance Redressal Committee) की स्थापना को अनिवार्य किया गया है। संस्था में पूर्व में कार्यालयादेश संख्या लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2019-20/01-859 दिनांक 08 सितम्बर, 2017' द्वारा गठित 'ग्रीवेन्स रिड्रेसल कमेटी' (Grievance Redressal Committee) को संशोधित करते हुए निम्नवत् समिति का पुर्नगठन किया जाता है।

- | | |
|--|---------------------|
| 1. प्रो0राजीव कक्कड़, विभागाध्यक्ष | अध्यक्ष (OMBUDSMAN) |
| 2. प्रो0रितु गुलाटी, एसोसियेट प्रोफेसर | सदस्य। |
| 3. श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर | सदस्य। |

संस्था द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।


(प्रो0वन्दना सहगल)
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।

प्रतिलिपि संख्या लवाम/प्र0स्था0/(दो)-10 का0आ0/2019-20/ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विभागाध्यक्ष
2. कुलानुशासक।
3. समिति के उपरोक्त समस्त सदस्यों को।
4. समस्त स्टॉफ मेम्बर्स को सरकुलेशन द्वारा।
5. नोटिस बोर्ड्स।
6. गार्ड फाइल।


(प्रो0वन्दना सहगल)
प्रधानाचार्या एवं अधिष्ठाता।